न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः नरेश कुमार मालव, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 68/2019 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

रतनसिंह पुत्र रामजीलाल जाति खटीक निवासी दौलतगढ तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायव तहसीलदार उच्चैन जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 26.08.19 नायव तहसीलदार उच्चैन मि0सं0 01/2019 सरकार बनाम रतनसिंह (91 एलआर एक्ट)

उपस्थित :

1. श्री पंकज कुमार वकील अपीलान्ट।
2. पेरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक – 12.12.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत नायव तहसीलदार उच्चैन की आज्ञा दिनांक 26.08.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा खिलाफ कानून नियमों के विपरीत है जो काविल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। पत्रावली में तारीख 23.08.2019 नियत थी। अपीलान्ट को बिना सूचित किये दिनांक 26.08.2019 को अपीलान्ट को बिना साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिये एकतरफा कार्यवाही करते हुये निर्णय पारित कर दिया। पटवारी हल्का की कोई साक्ष्य नहीं दर्ज की जो कि कानूनी प्रावधानों के तहत आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण काविल निरस्तनीय है। अपीलान्ट ने अपने जबाब में स्पष्ट लिखा है कि अपीलान्ट को

खसरा नम्बर 623 में से दिनांक 06.01.1975 को 150 वर्गगज जमीन आवंटित हुई है और इसी आवंटित जमीन पर ही अपीलान्ट का कब्जा है। अपीलान्ट ने इस 150 वर्गगज जमीन के अतिरिक्त अन्य किसी जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी कोई अवसर नहीं दिया और ना ही मौके पर कोई पैमाइश कराई वक्त आवंटन राज्य सरकार ने किस्म में कोई परिवर्तन नहीं किया जबकि अपीलान्ट के अलावा 20–25 लोगों को भी आवंटन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने किबना कानूनी प्रावधानों पर गौर किये आज्ञा पारित की है जो काविल निरस्तनीय है।

अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में तारीख पेशी 23.08.2019 नियत थी। 23.08.2019 को राज्य सरकार द्वारा अवकाश घोषित हो जाने के कारण दिनांक 26.08.2019 को अपीलान्ट को बिना सुने तहत अदालत ने निर्णय पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तो के खिलाफ निर्णय किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का के बयान भी नहीं लिये है केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट को खसरा नम्बर 623 में से 150 वर्गगज जमीन दिनांक 06.01.1975 को आवंटित हुई है उसी पर अपीलान्ट का कब्जा है। अपीलान्ट ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.08.2019 आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत नायव तहसीलदार उच्चैन के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.08.2019 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा नम्बर 623 में से रकवा 0.01 बीघा पर कन्डा, घूडा बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्यायसंगत है। विवादित भूमि मरघट की भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्जित है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट किसी भी सहानुभूति का पात्र नहीं है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा

अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.08.2019 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट का यह कहना कि नायव तहसीलदार उच्चैन का निर्णय दिनांक 26.08.2019 कानून के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 26.07.2019 की आदेशिका के अनुसार अपीलकर्ता के जबाब नोटिस को शामिल पत्रावली किया गया है तथा पत्रावली को आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 23.08.2019 की पेशी पर रखा गया था। इस बीच राज्य सरकार द्वारा दिनांक 23.08.2019 को कृष्ण जन्माष्टी का राजकीय अवकाश घोषित हो जाने के कारण उस दिन राजकीय कार्यालय/न्यायालय बन्द रहे। दिनांक 24.08.2019 को शनिवार व दिनांक 25.08.2019 को रविवार का राजकीय अवकाश होने के कारण पत्रावली को अगले कार्य दिवस अर्थात दिनांक 26.08.2019 को पेशी पर लिया जाकर निर्णय किया गया है। अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय की अपील के साथ आवादी भूमि का विक्रय विलेख (पटट्ा) की छायाप्रति पेश की है जो सक्षम अधिकारी से प्रमाणित नहीं है। प्रमाणित प्रति के अभाव में दस्तावेज मान्य नहीं किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार नायव तहसीलदार उच्चैन के निर्णय दिनांक 23.08.2019 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहत पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ तहसीलदार बयाना को लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2019 को सुनाया गया।

(नरेश कुमार मालव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर